बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2017

- सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्री थावर चंद गहलौत ने 10 मार्च, 2017 को लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया। इसे लोकसभा में 23 मार्च, 2017 को पारित कर दिया गया। प्रस्तुत बिल संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 में संशोधन करता है।
- संविधान राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जातियों (एससी) की अधिसूचित सूची को संसद द्वारा संशोधित करने की अनुमति देता है।
- **1950 के आदेश में संशोधन** : बिल ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन का प्रयास करता है। सुआलगिरि, स्वालगिरि को ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सबाखिया जाति के समानार्थी के रूप में पेश किया जाएगा।
- **1964 के आदेश में संशोधन** : केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम 2006 के केंद्रीय कानून के जरिए पुद्दुचेरी कर दिया गया था। बिल आदेश में इस परिवर्तन को शामिल करने और 'पांडिचेरी' शब्द को 'पुद्दूचेरी' शब्द से बदलने का प्रस्ताव रखता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रियंका राव
prianka@prsindia.org

29 मार्च, 2017